न्यायालय चन्द्रभान सिंह भाटी, आरएएस, कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 22/2018

1	श्रीमति मोहनी देवी	बेवा श्री स्व0 मोडाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बीठनोक
2	गीता	पुत्रीयां स्व0 श्री मोडाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बीठनोक
3	प्रेम	
4	पुष्पा	
5	मैना	

---अपीलांटगण

बनाम

राजस्थान सरकार ----रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति अभिभाषक :-

1. श्री गिरधारीलाल रामावत अपीलांट की ओर से
2. पेरोकार राज श्री हरिराम डूडी अति0सहा0आयुक्त उपनिवेशन (प्रशासन), बीकानेर

-: निर्णय :-

दिनांक :- 15-5-2019

यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत न0 1 हाल उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मु0 कोलायत की आज्ञा दिनांक 17.11.07 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 23.8.18 को प्रस्तुत की गई।

संक्षेप में अपील प्रार्थना पत्र के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट जन्मजात गांव बीठनोक उपनिवेशन तहसील कोलायत जिला बीकानेर के निवासी हैं और आय का एकमात्र स्त्रोत खेती हैं इसी से अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। हमारे पति/पिता श्री मोडाराम पुत्र मोहनराम ब्राहम्ण निवासी बीठनोक के नाम से ग्राम बीठनोक की रोही के खसरा न0 245/2 की 25 बीघा तथा 148/2 की 23 बीघा कुल 48 बीघा बारानी आराजी काश्त हेतु आवंटित भूमि दिनांक 13.8.07 टी.सी पुख्ता की गई और दिनांक 12.9.07 को आवंटन आदेश जारी किया गया।

उक्त आवंटित भूमि की समस्त किश्तें खजानाराज जमा करवा दी जाने के बाद उक्त आवंटित भूमि वाके गांव बीठनोक की रोही के खसरा न0 145/2 की 25 बीघा तथा खसरा न0 148/2 की 23 बीघा कुल 48 बीघा भूमि बारानी पर दिनांक 31.10.2010 को खातेदारी सनद जारी कर दी गई। इस प्रकार अपीलांटस के पति/पिता गांव बीठनोक की रोही के खसरा न0 145/2, 148/2 की 48 बीघा बारानी भूमि के खातेदार काश्त थें।

अपीलांट के पति/पिता श्री मोडाराम का दिनांक 10.12.2013 को स्वर्गवास हो गया। जिनके हम अपीलांटगण जायज वारिस कायम मुकाम कानूनी हैं। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र तथा जायज वारिसान के प्रमाण पत्र संलग्न अपील फार्म न0 3 मे संलग्न किये गये हैं। अपीलांटगण ने अपने पति/पिता की खातेदारी भूमि जरिये विरासतन इंतकाल हेतु प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर आज कल कहकर टाल मटोल करते रहे, और हम तहसील के चक्कर काटते रहें। आखिर दिनांक 10. 8.18 का नामान्तरकरण सं0 2073 दिनांक 17.11.2007 की प्रति प्राप्त हुई

जिसका अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह जानकारी मिली की हमारे पिता को गांव बीठनोक के खसरा न0 145/2 की 25 बीघा व खसरा न0 148/2 की 23 बीघा बतौर टी.सी. से पुख्ता आवंटित हैं। लेकिन नामांतरकरण मे खसरा न0 148/2 के स्थान 148/8 अंकित कर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जो आवंटन आदेश के बिल्कुल विपरीत हैं। प्रथम दृष्टया गलत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलांटगण ने तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके पति/पिता को खसरा न0 148/2 का 23 बीघा भूमि आवंटित हैं न कि 148/8 स्पष्ट रूप से आवंटन आदेश के खिलाफ नामांतरकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया हैं जो दुरूस्थ किया जावें। लेकिन उन्होनें कहा कि हमे जो करना था वो कर दिया गया हम इसे दुरूस्त नही कर सकते। अपीलांटगण को अपील ही करनी होगी स्पष्ट रूप से कर्मचारी/अधिकारी की मनमानी हैं जो कतई विविध विरूद्व होने से अनुशासनात्मक कार्यवाही के दोषी हैं इतना ही नही नामान्तरकरण के कॉलम न0 3 के ख0न0 148/2 के स्थान पर खसरा नं0 148/8 कर उनके पति/पिता के नाम से इंतकाल दर्ज तस्दीक किया हैं, जो आवंटन आदेश एवं सुसंगत राजस्व अभिलेख के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रथम जानकारी के अनुसार अपील अंदर मियाद हैं तथा प्रथम दृष्टया फर्जी कार्यवाही के खिलाफ मियाद का बिन्दु महत्वहीन व गौण हो जाता हैं। प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 कानून मियाद व शपथ पत्र पेश किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन हैं कि आदेश दिनांक उपनिवेशन कोलायत नं0 1 दिनांक 17.11.07 निरस्त किया जाकर अपीलांटस के पति/पिता मोडाराम पुत्र मोहनराम जाति ब्राहम्ण निवासी बीठनोक के धारण की खातेदारी भूमि बीठनोक की रोही के ख0न0 145/2 की 25 बीघा 148/2 की 23 बीघा कुल 48 बीघा बारानी अपीलांटस के नाम से बतौर विरासतन इंतकाल दर्ज करने के आज्ञा फरमाई जावें तथा दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के खिलाफ आदेश प्रदान करें।

इस अपील प्रार्थना पत्र के रेस्पोडेन्ट को नोटिस भिजवाया गया। अपीलार्थीगण की ओर से श्री गिरधारीलाल रामावत एडवोकेट ने अपने अभिभाषक पत्र दाखिल किये व राज्य की ओर से श्री हरिराम डूडी पैरोकारराज उपस्थित आये।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा फार्म नं0 3 में दस्तावेजात की छायाप्रतियां प्रस्तुत की तथा अपील मीमो को बहस माना जाकर निर्णय करने का निवेदन किया।

पैरोकारराज द्वारा यह एतराज किया गया अपील बाद मियाद पेश की गई हैं जो निरस्त योग्य हैं।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया साथ ही बहस पर मनन किया। निश्चित तौर पर अपील उपनिवेशन तहसील कोलायत हाल उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत की आज्ञा के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 23-8-2018 को प्रस्तुत की गई है जो काफी देरीना है क्योंकि प्रथम अपील प्रस्तुत करने की मियाद कानून में 30 दिवस निर्धारित की हुई है। क्योंकि अपीलांटगण द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके विरूद्व कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया तथा प्रकरण रिकार्ड संशोधन का होने से उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर हुई देरी को क्षमा किया जाता है। प्रस्तुत इंतकाल सं0 2073 दिनांक 27.11.07 मे ग्राम बीठनोक के खसरा न0 145/2 तथा 148/8 की 48 बीघा

भूमि बारानी टी.सी से पुख्ता आवंटन करने पर दर्ज होना अंकित है। फार्म न0 3 मे संलग्न आवंटन आदेश निर्णय दिनांक 13.8.07 टीसी से पुख्ता मे आवंटन अधिकारी द्वारा जारी मे ग्राम बीठनोक के ख0न0 145/2 मे 25 बीघा 148/2 मे 23 बीघा तथा जी.ए 55 पु0स0 418395 रसीद स0 00050 दिनांक 12.8.07 मे भी आवंटन आदेश के अनुसार राशि 12960/– होना अंकित है। खातेदारी सनद स0 864/40 दिनांक 31.12.2010 आवंटन अधिकारी द्वारा एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा जारी मे भी खसरा न0 145/2 व 148/2 कुल 48 बीघा भूमि की जारी होना अंकित हैं। उपरोक्त विवेचना के आधार पर इंतकाल सं0 2073 दिनांक 17.11.2007 जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया हैं त्रुटिपूर्ण हैं। विवादित इंतकाल सं0 2073 दिनांक 17.11.07 ग्राम बीठनोक खसरा न0 145/2, 148/8 की भूमि 48 बीघा की हद तक निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में मूल आवंटन पत्रावली से दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तथा अपीलांट को साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर विधिपूर्वक आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 15–5–2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर